धारा 6–ए प्रकरण सं. 109/2008(RCMS No. :2008/00008) राज्य सरकार जरिये सुनील वर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, विजयनगर <u>बनाम</u> 1. **राजेन्द्र कुमार** पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी रघुनाथपुरा **2. दीवान** चन्द्र पुत्र बिहारीलाल निवासी विजयनगर **3. पतराम** पुत्र भानीराम निवासी राजियासर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>28.09.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित है। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है।

दोनों पक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल का कथन था कि राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक टाटा एस टैम्पों नं. आरजे 12 जीए 1491 एवं 1500 लीटर डीजल दिनांक 22.08.2008 को एवं 648 लीटर डीजल दिनांक 04.09.2008 को राजसात करने के लिए यह प्रंकरण पेश किया और साथ ही 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक एफ.आई.आर. संख्या 111 दिनांक 18.09.2008 अप्रार्थीगण भानीराम पुत्र पतराम, राजेन्द्र कुमार पुत्र रूपराम एवं दिवान चन्द पुत्र बिलारीलाल के विरूद्ध पुलिस थाना दर्ज करवाई गई थी, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दर्ज फौजदारी प्रकरण संख्या 650/2009 अनुवानी सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार वगै अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त हो चुके है। इसलिए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19.11.2016 को दोषमुक्त किये जाने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में धारा 6ए में जब्तशुदा डीजल 1500 लीटर एवं 648 लीटर डीजल के सम्बन्ध में विचाराधीन कार्यवाही समाप्त की जावे और उक्त जब्तशुदा उक्त डीजल वापस लौटाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि प्रार्थी के डीजल को राजसात किया गया एवं वाहन को सुपुर्दगी पर लौटाया गया है तब से वाहन प्रार्थी के पास है तथा डीजल का राजसात कर उसकी राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। उक्त प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने के पश्चात राज्य सरकार व जिला रसद अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अपील किसी न्यायायल में नहीं की गई और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील निगरानी विचारणीय है। इसलिए विधिक प्रावधानानुसार प्रार्थीगण के दोषमुक्त होने की दशा में जब्तशुदा राशि मय ब्याज प्रार्थी को लौटाने की प्रार्थना की है तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में M/s Dedhia Traders Vs State of Rajasthan Cr. L.R.(raj. 1995 के पृष्ट संख्या 288—293 एवं essential Commodities Act, 1955 के पृष्ठ संख्या 36—37 की प्रति भी पेश की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक का कथन था कि अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6ए के प्रकरण के साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एक एफ.आई.आर. संख्या 111/2008 पुलिस थाना, मुकलावां में दर्ज करवाई गई थी जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में फौजदारी प्रकरण संख्या 650/2009 अनवानी सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार वगै. 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज होकर दिनांक 05.10.2016 के निर्णय के द्वारा अप्रार्थी को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया गया है और अपर सैशन न्यायाधीश संख्या—1, श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 19.01.2017 से फौजदारी पुनरीक्षण संख्या 15/2017 [illegible] बनाम राजस्थान सरकार में धारा 146/196 मोटर वाहन अधिनियम [illegible] अपराध से मुक्त किया जा चुका है। उक्त दोषमुक्ति आदेश के विरुद्ध [illegible] कोई अपील पेश नहीं की गई है। अतः उक्त धारा 3/7 के आरोप से दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी वाहन स्वामी से जब्तशुदा डीजल वापिस प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उक्त जब्तशुदा 648 लीटर डीजल जब्त किया गया है जिसके स्वामित्व के सम्बन्ध में उनके द्वारा 6ए के प्रकरण में पूर्व में 648 लीटर डीजल का बिल पेश किया हुआ है। पूर्व में बिल के अनुसार जब्तशुदा 648 लीटर डीजल वापिस/राशि लौटाई जानी उचित होगी

उनका आगे कथन था कि जब्तशुदा डीजल के बिल पंजाब के है अर्थात अप्रार्थीगण पंजाब से डीजल क्रय करके लाये है। इसलिए उक्त डीजल पर यदि राज्य सरकार की कोई वैट राशि बनती हो तो वह वसूल कर शेष राशि अप्रार्थीगण को लौटाई जानी उचित होगी।

मैनें दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अप्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार पुत्र रूपाराम, दीवान चन्द पुत्र बिहारी लाल एवं पतराम पुत्र भानीराम के वाहन संख्या टाटा एस टैम्पो नं. आरजे 13 जीए 1491 में 648 लीटर डीजल राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स (लाईसेंसिग एंड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 की धारा 3 व 15 व Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulatin of Supplies and Distribution and prevention of Malpractices) Order 1998 की धारा 3(VI) की अवहेलना के कारण उक्त वाहन संख्या टाटा एस टैम्पो नं. आरजे 13 जीए 1491 में 648 लीटर डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

इसीप्रकार एक अन्य प्रकरण संख्या 110/2008 में अप्रार्थीगण भानीराम पुत्र पतराम मालिक टैपो व राजेन्द्र [illegible] ड्राइवर टाटा टैम्पों में डीजल का अवैध परिवहन व विक्रय [illegible] राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडेक्ट्स (लाईसेंसिग एंड कन्ट्रोल) ऑर्डर 1990 की धारा 3 व 15 तथा अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 की अवहेलना करने एवं साथ ही Motor Spirit & High Speed

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Diesel (Regulatin of Supplies and Distribution and prevention of Malpractices) Order 1998 की धारा 3(VI) की भी अवहेलना के कारण उक्त जब्तशुदा High Speed Diesel 1500 लीटर मय 7 प्लास्टिक के क्रम को राजसात करने की प्रार्थना के साथ प्राप्त हुआ था।

उक्त दोनों प्रकरणों में एक ही वाहन टाटा एस टैम्पो नं. आरजे 13 जीए 1491 जब्त किया गया था तथा दोनों प्रकरणों में एक ही एफ.आई.आर. संख्या 111 दिनांक 18.09.2008 को दर्ज की गई।

तत्कालीन जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा जब्तशुदा वाहन संख्या टाटा एस टैम्पो नं. आरजे 13 जीए 1491 को सुपुर्दगी पर छोड़े जाने के आदेश दिनांक 10.05.2010 को पारित किया गये थे।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2017 के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 650/2009 अनवानी सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार वगै. अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 05.10.2016 के आधार पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक आरोप से दोषमुक्ति होने के कारण उक्त जब्तशुदा डीजल वापिस लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थीगण ने उक्त के अतिरिक्त अपर सैशन न्यायाधीश संख्या—1, श्रीगंगानगर के फौजदारी पुनरीक्षण संख्या 15/17 अनवान् दीवान चंद बनाम सरकार में दिनांक 19.01.2017 के आदेश की प्रति भी पेश की है जिसमें उन्होनें पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से प्रस्तुत [illegible] याचिका स्वीकार की है तथा अधीनस्थ न्यायालय [illegible] 46/196 मोटर वाहन अधिनियम के अपराध [illegible] सारांश सुनाये जाने की सीमा तक प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.10.2016 अपास्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मैने **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6क 3(क) व (ग)** का अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रावधान है :

6क(3)(क) जहां अधिहरण का कोई आदेश कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप से पारित नहीं किया जाता है,

6क(3)(ग) – जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अभिहरण का आदेश किया गया है, संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएगें।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थीगण के विरूद्व इस हस्तगत प्रकरण में 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक एफ.आई.आर.संख्या 111/2008 पुलिस थाना मुकलावा में दर्ज करवाई गई थी जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 650/2009 अनवानी सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार वगै. आदि अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 05.10.2016 के आधार पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक आरोप से दोषमुक्ति होने के कारण उक्त जब्तशुदा डीजल वापिस लौटाये जाने की प्रार्थना की गई है। चूंकि अप्रार्थीगण धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के उक्त आरोप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2016 से दोषमुक्त हो चुके है और **इस दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा कोई अपील/रिवीजन पेश नहीं की गई** है इसप्रकार उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है। इसलिए उपरोक्त के परिणास्वरूप अप्रार्थीगण उक्त जब्तशुदा डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उक्त्त प्रावधानों के तहत वापिस प्राप्त करनें के हक़दार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक जब्तशुदा डीजल लौटाने का प्रश्न है उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने 6ए क प्रकरण में जब्तशुदा कुल 2148 लीटर डीजल/डीजल राशि लौटाना उचित होगा। माननीय सैशन न्यायाधीश, के अपराधिक अपील संख्या 83/2010 अनवान् भानीराम विरूद्ध राज्य के आदेश दिनांक 27.09.2010 के द्वारा दीवानचन्द मुखत्यारआम भानीराम उक्त जब्त वाहन संख्या आरजे 13जीए 1491 सुपुर्दगीनामा पर प्राप्त कर चुका है। इसलिए उक्त प्रकरण में उसकी कोई प्रतिभूति राशि जमा हो तो वह भी अप्रार्थी दीवानचन्द मुखत्यारआम भानीराम द्वारा प्रस्तुत मुखत्यारआम की वैद्यता की जांच कर लौटाई जानी उचित होगी।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग—अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है। इसलिए इस प्रकरण में यदि कोई वैट सम्बन्धी कार्रवाई शेष हो तो वह पूर्ण की जावे और इस प्रकरण में उक्त वैट सम्बन्धी कार्रवाई, को इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखी जावे तथा की गई कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षर को भी अवगत करवाया जावे।

अतः **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं थाना अधिकारी, मुकलावा को आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा डीजल की अगर किसी अन्य प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय/अथोरिटी (Authority) को आवश्यकता न हो तो उक्त डीजल अथवा डीजल की विक्रय राशि एवं वाहन के सुपुर्दगीनामा में कोई राशि जमा की गई हो तो नियमानुसार वापिस लौटा दी जावे।** अतः उक्तानुसार हस्तगत प्रकरण धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारित किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर, थाना अधिकारी, मुकलावा, वाणिज्य कर अधिकारी/सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, घट द्वितीय प्रतिकरापवंचन, [illegible] कर, श्रीगंगानगर, को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 28.0[illegible]2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूकमणी रियार सिहाग)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर